

म्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - ~~अहिले~~ कप्तानाश्विनिया

धरा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1158

दायर दिनांक.....

10/10/25

निर्णय दिनांक.....

10/10/25



2025/1130

क्र.स..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	बहिले कप्तानाश्विनिया	84	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बर्जौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशांषा स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अख्ययीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम ----- प.ह.----- ----- खातासं ----- में वर्तमान प्रविष्ट बर्जौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पदवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन		

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
कपासन, जिला-चितौड़गढ